अपील 002 — जे विरुद्ध 52/12

दिनांक	आज्ञा पत्र
27-12-18	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 28-3-19 को पेश हो।
28-3-19	वकील अपीलांट उपा रेस्पो नं 2 को सूचना प्राप्त करने। पेश करके पर जारी है। पत्रावली दिनांक 11-6-19 को पेश हो।
11-6-19	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 26-8-19 को पेश हो।
26-8-19	पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलांट/रेस्पो. उपस्थित पीठासीन अधिकारी महोदय आज ... पर है। अतः पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक 11-11-19 को पेश हो।
11-11-19	पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक संघ ने आज न्यायिक कार्य स्थगित रखा। पत्रावली पूर्व आज्ञानुसार दिनांक ... को पेश हो। 27-1-20
27-1-20	पत्रावली पेश वकील अपीलांट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलांट में रेस्पोडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलांट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय रो इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। भू-प्रबन्ध अधिकारी एव पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर- (कैम्प झुन्झुनूं)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official